न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

प्रकीर्ण वाद संख्या–1277/2023

हमीदुन्निशा बनाम मरियम व अन्य

दिनांक 21–10–2023

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रार्थिनी हमीदुन्निशां द्वारा विपक्षीगण मरियम,रूबीना,सबीना, सलीना, रीबू, आलम, रफीक, जासिम एवं दो तीन अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर पूर्व मे सुना जा चुका है। मैने थाना जैदपुर, बाराबंकी की आख्या एवॅ पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का परिशीलन किया।

प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों व थाना आख्या के अनुसार प्रकरण मे रास्ते का विवाद है।

प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों से प्रार्थी को अपने कथनो के सम्बन्ध मे समस्त तथ्य ज्ञात है और वह प्रकरण के सम्बन्ध मे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों की संवीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे **माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीनिवास गुण्डलुरियाण्ड आदि बनाम एस०ई० पी०सी०ओ०इलेक्ट्रानिक पांवर कांट्रेक्शन कांरपोरेशन एवं अन्य एस०सी०/0539/2010** मे यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करना है कि वह किसी भी कार्यवाही मे पुलिस के द्वारा विवेचना कराये अथवा धारा–200 दं०प्र०सं के अन्तर्गत मामले को परिवाद के रूप मे दर्ज करे। **माननीय उच्च न्यायालय की वृहद खण्डपीठ** ने **सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू० पी० प्रकीर्ण प्रार्थना प्रत्र संख्या–9297/07** मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी० आर० पी० सी० पर विवेचना करवाया जाना आवश्यक न हो तो उसे परिवाद के रूप मे दर्ज किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के अनुक्रम मे प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा–156(3) सी० आर० पी० सी० को परिवाद के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी० आर० पी० सी० परिवाद के रूप मे पंजीकृत हो। वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं०, पत्रावली दिनांक 16–11–2023 को पेश हो। पत्रावली विधिनुसार निस्तारण हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के न्यायालय को सन्दर्भित की जाती है।

(**संजय कुमार–VI**)
सी० जे० एम०, बाराबंकी।